प्रेस नोट-थाना खुटार

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 18.11.2025

"श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशन में संचालित *ऑपरेशन तलाश* के तहत थाना खुटार पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता—चेकिंग के दौरान फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया गया।"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के निकट पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी खुटार के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कडी कार्यवाही के क्रम में थाना खुटार पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.11.2025 को थाना खुटार पर नियुक्त व0उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र मय पुलिस टीम द्वारा देखरेख शान्ति व्यवस्था, रोकथाम अपराध/जुरायम, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं पुलिस द्वारा चलाये जा रहे *ऑपरेशन तलाश* अभियान के तहत पूरनपुर रोड स्थित फ्लाईओवर के नीचे वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक कार को रोककर चेक किया गया, जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। वाहन के पीछे पुलिस उपनिरीक्षक की वर्दी टंगी हुई थी तथा आगे पुलिस कैप रखी हुई थी। संदेह होने पर वाहन सवार व्यक्ति से नाम–पता पूछकर जामा तलाशी ली गयी। उसने अपना नाम **गौरव शर्मा पुत्र राकेश शर्मा**, निवासी *ई-33 जनकपुरी, महोली रोड, मथुरा बांगर, थाना कृष्णानगर, जनपद मथुरा*, उम्र लगभग 30 वर्ष बताया तथा वर्तमान में खुटार में किराये पर रहने की जानकारी दी। तलाशी के दौरान उसके पास से **01 मोबाइल फोन (रेडमी)** बरामद हुआ, जिसे चेक किए जाने पर उसके मोबाइल में पुलिस उपनिरीक्षक की वर्दी पहने हुए कई फोटो, *उत्तर प्रदेश पुलिस आईडी के दो फोटो* तथा अन्य व्यक्ति की आईडी फोटो मिलीं। पूछताछ में उक्त व्यक्ति ने बताया कि वह टोल टैक्स से बचने, शौकवश तथा जनता में रौब दिखाने के उद्देश्य से पुलिस की वर्दी पहनता था। घटना के संबंध में थाना खुटार पर **मु0अ0सं0 498/2025, धारा 204/205/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस** में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को दिनांक **18.11.2025, समय 01:39 बजे** गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. गौरव शर्मा पुत्र राकेश शर्मा निवासी ई 33 जनकपुरी महोली रोड मथुरा बांगर थाना कृष्णानगर जनपद मथुरा उम्र करीब 30 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 498/2025 धारा 204/205/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना खुटार शाह0

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थानः-

दिनांक घटना 18.11.2025 समय 01.39 बजे, पूरनपुर रोड पर बने ओवरब्रिज के नीचे

बरामदगी का विवरणः-

01 अदद वर्दी व 04 पीतल स्टार, 02 पीतल बैच उ.प्र.पु. ,

01 जोड़ी लाल जूते,

01 अदद पी0कैप, 01 अदद गरम टोपा उ.प्र.पु.,

01 अदद डन्डा, एक अदद मोबाईल रेडमी,

01 अदद कार मारुति सुजुकी इग्निस UP85BY4492 अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट

आपराधिक इतिहास अभियुक्त का विवरणः-

1. मु0अ0सं0 498/2025 धारा 204/205/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना खुटार शाह0

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त गौरव शर्मा पुत्र राकेश शर्मा निवासी ई-33 जनकपुरी, महोली रोड, मथुरा बांगर, थाना कृष्णानगर, जनपद मथुरा, उम्र लगभग 30 वर्ष से पूछताछ करने पर उसने बताया कि **"मेरे पिता सब-इन्सपेक्टर हैं। मैं यहाँ खुटार में संजय त्रिपाठी के मकान में लगभग डेढ़ वर्ष से किराये पर रह रहा हूँ। मैं कभी-कभी दरोगा की वर्दी जनता में रौब दिखाने, टोल टैक्स से बचने तथा अपने शौक के कारण पहन लेता हूँ। बरामद किया गया समस्त सामान मेरा ही है।"**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. राजेन्द्र कुमार रावत प्रभारी निरीक्षक थाना खुटार शाह0
2. व0उ0नि0 सुभाषचन्द्र थाना खुटार जिला शाह0पुर
3. उ0नि0 श्री अनुज चौधरी थाना खुटार जिला शाह0पुर
4. का0 2205 सिकन्दर सिंह मलिक थाना खुटार जिला शाह0पुर
5. का0 2087 विशाल कुमार थाना खुटार जिला शाह0पुर
6. का0 1107 मनोज कुमार थाना खुटार जिला शाह0पुर
7. का0 2146 फिरोज हसन थाना खुटार जिला शाह0पुर